

## बिहार विधान सभा सचिवालय

### आवश्यक सूचना

विज्ञापन संख्या-03 / 2024

- बिहार विधान सभा सचिवालय के विज्ञापन संख्या-03 / 2024 के अन्तर्गत (i) प्रतिवेदक (ii) निजी सहायक एवं (iii) आशुलिपिक के पदों पर भर्ती के लिए आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा पटना स्थित परीक्षा केन्द्र पर निम्न प्रकार से आयोजित की जायेगी:-
  - प्रतिवेदक पद के लिए आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा दिनांक 12.04.2025 को 10:00 बजे पूर्वा० से 12:00 बजे मध्याह्न तक एक बैच में होगी।
  - निजी सहायक पद के लिए आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा दिनांक 13.04.2025 को 10:00 बजे पूर्वा० से 12:00 बजे मध्याह्न तक तथा 02:00 बजे अप० से 04:00 बजे अप० तक दो बैचों में होगी।
  - आशुलिपिक पद की आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा दिनांक 12.04.2025 को 02:00 बजे अप० से 04:00 बजे अप० तक एक बैच में होगी।
- सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश-पत्र (**Admit Card**) बिहार विधान सभा की वेबसाईट <https://vidhansabha.bihar.gov.in/> पर दिनांक 02.04.2025 से उपलब्ध रहेगा।  
**अभ्यर्थियों को डाक से (By Post) प्रवेश-पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।**
- अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र (दो प्रतियों में) एवं पहचान-पत्र (मूल) के साथ उपस्थित होंगे तथा प्रवेश पत्र पर अंकित अनुदेश का अध्ययन कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- परीक्षार्थी परीक्षा के निर्धारित समय से 60 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँचेंगे। परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व से परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष से बाहर जायेंगे।
- अभ्यर्थी स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए पेन और स्टेनो पेंसिल स्वयं लायेंगे। स्टेनो नोट पैड एवं उत्तर पुरितका सभा सचिवालय द्वारा दी जायेगी।
- परीक्षा केन्द्र में घड़ियाँ, पुस्तकें, कागज के टुकड़े पत्रिकाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यथा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, पेन-बटन होल कैमरा, स्कैनर, केलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि लाना सख्त वर्जित है। यदि ऐसी कोई सामग्री परीक्षा-कक्ष में अभ्यर्थी के पास पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और उसके विरुद्ध कानूनी/आपराधिक कार्रवाई आरम्भ की जा सकती है।
- अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर तलाशी (Frisking) की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
- परीक्षा सी.सी.टी.वी. की निगरानी में ली जायेगी।
- अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन तथा उपस्थिति पत्रक में दर्ज करेंगे अन्यथा उन्हें अनुपस्थित माना जायेगा।
- परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में वीक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई परीक्षार्थी वीक्षक/पर्यवेक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा-कक्ष से बाहर जाते हैं तो उन्हें पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।
- यदि किसी अभ्यर्थी का प्रवेश-पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहा हो तो वे अपना ऑनलाईन आवेदन की प्रति संलग्न कर **Email ID : helpdesk.bvs24@gmail.com** अथवा मोबाईल संख्या **9470027525 / 9470027448** पर संपर्क कर सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर सरकारी वाह्य व्यक्ति हों बिहार विधान सभा सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब दूरभाष संख्या-0612-2215709 तथा ई-मेल: [secretarybvs@gmail.com](mailto:secretarybvs@gmail.com) पर सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संपर्कता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

  
अवर सचिव

बिहार विधान सभा, पटना।